

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 82
जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2024

82. डा. अशोक कुमार मित्तल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश भर में वर्ष जल संचयन और जल संरक्षण में सुधार लाने के लिए जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2024 की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए बनाए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्षा जल संचयन प्रणालियों के कार्यान्वयन में विशेषकर जल की कमी वाले क्षेत्रों में राज्यों और स्थानीय निकायों को पेश आ रही चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
- (ग) इस अभियान के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है और सरकार इन निधियों की समुचित निगरानी और उपयोग को किस प्रकार सुनिश्चित करती है; और
- (घ) इस अभियान के अंतर्गत विशेषकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन की मात्रा और निर्मित टिकाऊ जल संरक्षण संरचनाओं की संख्या जैसे परिणामों के संदर्भ में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में जल की कमी वाले 256 जिलों में एक समयबद्ध और मिशन-मोड में जल संरक्षण अभियान, जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया गया था। इन प्रयासों को जारी रखने के लिए, राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा वर्ष 2020 में एक कैच द रेन (सीटीआर) अभियान शुरू किया गया, जिसे बाद में वर्ष 2021 में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) में समाहित किया गया, ताकि इसमें भारत के सभी जिलों, ब्लॉकों और नगरपालिकाओं को शामिल किया जा सके। जेएसए: सीटीआर अब एक वार्षिक विशिष्टता बन गई है, जिसे 9 मार्च 2024 को पाँचवां संस्करण लागू करने के लिए लॉन्च किया गया है जो 30 नवंबर 2024 तक चलेगा। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन 2024 अभियान की प्रभावशीलता का आकलन करने और राज्यों एवं स्थानीय निकायों द्वारा वर्षा जल संचयन प्रणालियों को लागू करने में पेश आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए, विशेष रूप से जल की कमी वाले क्षेत्रों में, भारत सरकार द्वारा एक व्यापक, बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें केंद्रीय नोडल अधिकारी (सीएनओ) और केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के तकनीकी अधिकारी (टीओ) क्षेत्रीय दौरे करते हैं ताकि जेएसए: सीटीआर अभियान के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी की जा सके, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके और जल संरक्षण कार्यकलापों के प्रभाव का आकलन करने में मदद की जा सके।

इस अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य और जिला स्तर पर क्रमशः प्रगति की निगरानी करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य नोडल अधिकारियों (एसएनओ) और जिला नोडल अधिकारियों (डीएनओ) की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा, एसएनओ, द्वारा नगर आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों (डीएम)/ उपायुक्तों (डीसी), साझेदार केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय

नोडल अधिकारियों (सीएनओ) और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ आवश्यक सहायता प्रदान करने और फीडबैक एकत्र करने के लिए नियमित बैठकें की जाती हैं। उपरोक्त के अलावा, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), राज्य सरकारों के परामर्श से, देश के सक्रिय भूजल संसाधनों का वार्षिक आकलन करता है। ये आवधिक आकलन भूजल पुनर्भरण, उपयोग और सभी आकलन इकाइयों में उसकी समय उपलब्धता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं, जो विभिन्न हितधारकों को सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं। इसके अलावा, जल शक्ति केंद्र (जेएसके) जिलों में स्थापित किए गए हैं, जो स्थानीय लोगों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने और वर्षा जल संचयन प्रणालियों के कार्यान्वयन में जिला प्रशासन को सहायता करने के लिए समर्पित संसाधन और जान केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, जिलों ने अपने-अपने जिलों में सतत जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिला जल संरक्षण योजनाएं तैयार की हैं।

(ग): जेएसए:सीटीआर अभियान के तहत खर्च की गई निधि, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों की विभिन्न योजनाओं के समेकित वित्तपोषण के माध्यम जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूँद अधिक फसल, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार घटक, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा), वित्त आयोग अनुदान आदि व्यय की जाती है। सरकार इन फंडों की प्रभावी निगरानी और उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए कई चैनलों के माध्यम से, जैसे राज्यों से उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) की प्रस्तुति और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों की तैनाती के माध्यम से, प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

(घ): जेएसए:सीटीआर अभियान में पांच केंद्रित कार्यकलाप हैं अर्थात् (i) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन; (ii) सभी जल निकायों की गणना, जियो टैगिंग और सूची बनाना, इसके आधार पर जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजनाओं की तैयारी; (iii) सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना; (iv) गहन वनरोपण, और (v) जन-जागरूकता सृजन। वर्ष 2019 में इस अभियान की आरंभ से, देश भर में 1.66 करोड़ जल-संबंधित कार्य किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र शामिल हैं, जो जल संरक्षण और प्रबंधन के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 705 जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं और 619 जिलों ने स्थानीय स्तर पर सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक जिला जल संरक्षण योजनाएँ विकसित की हैं। जहां तक वर्षा जल संचयन की मात्रा का संबंध है, वर्षा जल की सटीक मात्रा का पता करना संभव नहीं है क्योंकि यह कई कारकों जैसे संरचनाओं का आकार और डिज़ाइन, भूभाग, वर्षा जल के पैटर्न, स्थलाकृति, भूविज्ञान, रिसाव और अन्य स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जिससे सभी क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के लिए एक समान डेटा बिंदु का आकलन करना कठिन हो जाता है। फिर भी, इन प्रयासों का सामूहिक प्रभाव, देश भर में सतत जल प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देता है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 104
जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

कावेरी नदी में नए बांध का निर्माण

104. श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कावेरी नदी के निचले तटवर्ती राज्यों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या सरकार ने कावेरी नदी पर एक नए बांध के निर्माण के लिए कोई मंजूरी दी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्र सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.2.2018 के अपने आदेश द्वारा यथासंशोधित कावेरी जल विवाद अभिकरण के निर्णय, को लागू करने हेतु अंतर-राज्य नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 की धारा 6 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01.06.2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कावेरी जल प्रबंधन योजना (सीडब्ल्यूएमएस) को अधिसूचित किया था जिसमें अन्य के साथ-साथ जिसमें कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमएस) और कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) का गठन किया जाना भी शामिल है।

उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रदत्त सीडब्ल्यूएमएस की शक्तियों, कार्यों और दायित्वों में उल्लिखित है कि यह प्राधिकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यथासंशोधित अधिकरण के निर्णय का अनुपालन और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु उसे प्रदान की गई सभी शक्तियों का उपयोग करेगा और इसके लिए आवश्यक, पर्याप्त और त्वरित किसी भी प्रकार और सभी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. कावेरी जल का भंडारण, आवंटन, विनियमन और नियंत्रण;
- ii. जलाशयों के संचालन की निगरानी और विनियमन समिति की सहायता से वहां से जल निकासी का विनियमन;
- iii. कर्नाटक और तमिलनाडु की सामान्य सीमा पर स्थित अंतर-राज्य संपर्क बिंदु, जो इस समय बिलिगुंडुलु गेज और डिस्चार्ज स्टेशन के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से कर्नाटक द्वारा विनियमित जल निकासी

सीडब्ल्यूआरसी का कार्य, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण को दिए निर्देशों सहित यथासंशोधित अधिकरण के अंतिम निर्णय में निहित प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है।

सीडब्ल्यूआरसी और सीडब्ल्यूएमएस की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिनमें कावेरी बेसिन में जलवायु-जलविज्ञान की परिस्थितियों, निर्दिष्ट जलाशयों में जल- भंडारण की स्थिति, कावेरी बेसिन में निर्दिष्ट बांधों में आने वाले/निकास जल प्रवाह और कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य के बीच अंतर-राज्य संपर्क बिंदु बिलिगुंडुलु में प्रवाह की मात्रा सुनिश्चित किए जाने पर विस्तार से चर्चा की जाती है और सभी पक्षकार सदस्यों, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से निर्णय लिए जाते हैं।

मौजूदा जल वर्ष 2024-25 (जल वर्ष 1 जून से 31 मई तक) के दौरान, अब तक प्राधिकरण की 7 बैठकें और विनियमन समिति की 14 बैठकें की जा चुकी हैं।

(ख): केंद्र सरकार द्वारा कावेरी नदी पर किसी नए बांध के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 102
जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....
गंगा में कटाव

102. श्री समीरुल इस्लाम:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास गंगा में हो रहे कटाव को रोकने के लिए कोई योजना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजनाओं के नाम क्या हैं और गंगा में कटाव की समस्या से निपटने के लिए कौन-कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं; और
- (ग) सरकार ने पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में गंगा के कटाव को रोकने के लिए कितनी योजनाएं तैयार की हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और लागू की जाती हैं। भारत सरकार गंभीर क्षेत्रों के लिए तकनीकी सहायता और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी, जल निकासी विकास, समुद्र-कटावरोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु XIवीं और XIIवीं योजनाओं के दौरान, बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जिसे बाद में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्रों के कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" के एक घटक के रूप में जारी रखा गया और वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 4,100 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ इसे और आगे बढ़ाया गया।

बाढ़ प्रबंधन के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी), पटना को मास्टर योजना तैयार करने जिसमें राज्यों द्वारा नदी कटाव नियंत्रण उपाय, प्रस्तावित योजनाओं का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन और गंगा बेसिन में केंद्रीय सहायता से लागू योजनाओं की निगरानी करने की भूमिका निभाने का कार्य सौंपा गया है।

फरक्का बैराज परियोजना, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अंतर्गत आने वाला एक अधीनस्थ कार्यालय है, जो अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले गंभीर क्षेत्रों में (फरक्का बैराज के ऊपर 12.5 किमी और नीचे 6.9 किमी) कटावरोधी/नदी तट संरक्षण का कार्य करती है जिससे फरक्का बैराज और इसके सहायक संरचनाओं की सुरक्षा और बचाव हो सके, ताकि इससे गंगा नदी के तट पर बसे जीवन और संपत्ति को भी एक उचित डिग्री की सुरक्षा हासिल हो।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अनुरोध पर, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जिसमें पश्चिम बंगाल राज्य सरकार और संबंधित केंद्रीय सरकारी विभागों के सदस्य शामिल हैं, जो पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया जिलों में गंगा-पद्मा नदी द्वारा उत्पन्न कटाव के खतरे से निपटने के लिए एक एकीकृत योजना हेतु संयुक्त विस्तृत तकनीकी अध्ययन करेगी।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 101
जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

हरियाणा राज्य के लिए वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट

101. श्री सुभाष बराला:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 में हरियाणा राज्य में किसी ऐसे उभरते हुए संदूषक की पहचान की गई है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) हरियाणा के जल निकायों में संदूषण को कम करने में सरकार की पहल किस हद तक प्रभावी रहीं हैं;
- (घ) क्या सरकार ने हरियाणा राज्य में भूजल गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी और निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में कोई आकलन किया है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा हरियाणा में 879 मॉनिटरिंग स्थल सहित देश भर के 15,259 मॉनिटरिंग स्थलों से भूजल नमूनों और विश्लेषण के आधार पर वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई है। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य पीने और कृषि में प्रयोग किए जाने वाले भूजल में विद्युत चालकता (इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी), फ्लोराइड, आर्सेनिक, भारी धातुओं, नाइट्रेट आदि जैसे विभिन्न जल के गुणवत्ता मानकों का अध्ययन करना है। रिपोर्ट में हरियाणा सहित कुछ राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर पानी के मानव उपयोग की निर्धारित सीमाओं से अधिक संदूषकों की उपस्थिति पाई गई है। इसके अलावा, रिपोर्ट में किसी नए संदूषकों की पहचान नहीं की गई है।

(ग): जल निकायों के पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रदूषण की रोकथाम सहित इनकी आयोजना, वित्तपोषण, कार्यान्वयन और रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार, तकनीकी सहायता प्रदान करती है और कुछ मामलों में मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए राज्य सरकारों को सुविधा देती है।

भारत सरकार द्वारा जल निकायों के संरक्षण और पुनरुद्धार तथा प्रदूषण की रोकथाम सहित की गई कुछ प्रमुख पहलों के परिणाम नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं जो जल निकायों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए प्रभावी पाए गए हैं:

- जल शक्ति मंत्रालय वर्ष 2019 से देश भर में जल शक्ति अभियान (जेएसए) को कार्यान्वित कर रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए गए इन वार्षिक अभियानों के अंतर्गत केंद्रित कार्यकलापों में पारंपरिक और अन्य जल निकायों/टैंकों का नवीनीकरण, गणना, भू-टैगिंग और सभी जल निकायों की सूची तैयार करना, टैंकों/झीलों के अतिक्रमण को हटाना, टैंकों की गाद निकालना शामिल है। हरियाणा में, जल शक्ति अभियान के तहत वर्ष 2019 से लगभग 19,266 जल निकायों का पुनरुद्धार/नवीनीकरण/संरक्षण किया गया है।

- भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य हरियाणा सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और उनका संरक्षण करना था। इस मिशन के परिणामस्वरूप हरियाणा के 2,120 अमृत सरोवरों सहित देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवरों का निर्माण पुनरुद्धार किया गया है।
- यह मंत्रालय, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के तहत जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार घटक को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्यों की चिह्नित योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के जलापूर्ति क्षेत्र के तहत जल निकायों का पुनरुद्धार एक घटक है। अमृत 2.0 को भी अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 'जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए निर्देशात्मक दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो जल निकायों की क्षमता बढ़ाने और जल गुणवत्ता में सुधार लाने की सामान्य रूप से सिफारिश करते हैं।

(घ) और (ङ): केंद्र सरकार ने भूजल प्रबंधन को वास्तविक रूप से जन आंदोलन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर समुदायों और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से प्रमुख कदम इस प्रकार हैं।

- i. भारत सरकार, हरियाणा सहित सात राज्यों के 80 जिलों में जल की कमी वाले 229 ब्लॉकों में अटल भूजल योजना को कार्यान्वित कर रही है। अटल भूजल योजना की मुख्य थीम सामुदायिक नेतृत्व में भूजल संसाधनों और मांग पक्ष का सतत प्रबंधन करना है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत कई गैर सरकारी संगठनों को जिला कार्यान्वयन भागीदार (डिस्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन पार्टनर्स) के रूप में शामिल किया गया है जिससे सरकार और समुदायों के बीच एक सामंजस्य बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, हरियाणा में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों के माध्यम से कई जल संरक्षण संरचनाएं भी निर्मित की गई हैं।
- ii. केंद्रीय भूमि जल बोर्ड स्थानीय भूजल मुद्दों में विभिन्न जन संवाद कार्यक्रम (पब्लिक इंटरैक्शन प्रोग्राम), जन जागरूकता कार्यक्रम, टियर II और टियर III कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जनता को शिक्षित करना, जल गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु सतत प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल है।
- iii. जल जीवन मिशन के अंतर्गत, समुदाय को शामिल करने और जल गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से जल नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक, देश भर में 24 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 41,000 से अधिक महिलाएं हरियाणा से हैं।
- iv. सरकार, वर्ष 2019 से सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ देश में जल शक्ति अभियान को कार्यान्वित कर रही है। अभियान के अंतर्गत, हरियाणा सहित विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं जिससे कि स्थानीय समुदायों के साथ बातचीत की जा सके और जल संबंधी जानकारी का प्रसार किया जा सके।
- v. इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय और इसके संगठन, देश में सार्वजनिक तौर पर जागरूकता बढ़ाने और जल संसाधन प्रबंधन में सुधार लाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर काम करते हैं।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 100
जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

महानदी नदी विवाद

100. श्री निरंजन बिशी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) महानदी नदी विवाद मामले की शीघ्र सुनवाई करने और उसके निपटान के लिए न्यायाधिकरण में कार्यवाही में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और
- (ख) क्या केंद्र सरकार द्वारा न्यायाधिकरण के बाहर विवाद को निपटाने के लिए कोई प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के निपटान हेतु संसद द्वारा अंतर्राज्यिक जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 लागू किया गया है। जब अंतर्राज्यिक नदियों पर किसी राज्य सरकार द्वारा किसी जल विवाद के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत कोई अनुरोध प्राप्त होता है और केंद्र सरकार का मानना हो कि जल विवाद का समाधान बातचीत से नहीं किया जा सकता, तो केंद्र सरकार उक्त जल विवाद के न्याय निर्णयन हेतु एक जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन करती है।

जहाँ तक महानदी नदी जल विवाद का संबंध है, ओडिशा सरकार द्वारा दिनांक 19.11.2016 को केंद्र सरकार को अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत महानदी नदी जल विवाद पर एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी। ओडिशा राज्य ने अंतर्राज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 4(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार से एक न्यायाधिकरण के गठन के लिए अनुरोध किया है, ताकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ के तटवर्ती राज्यों के बीच अंतर्राज्यिक नदी महानदी और उसके बेसिन संबंधी जल विवादों का न्याय निर्णयन किया जा सके।

केंद्र सरकार ने विवाद को बातचीत के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वार्ता समिति का गठन किया। वार्ता समिति ने मई 2017 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि विवाद को बातचीत के द्वारा हल नहीं किया जा सकता। ओडिशा सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मूल वाद (सूट) सं. 1/2017 भी दायर किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर, केंद्र सरकार ने दिनांक 12.03.2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया और अप्रैल 2018 में ओडिशा द्वारा उठाए गए इस जल विवाद के मामले को न्यायाधिकरण के समक्ष न्याय निर्णयन के लिए भेजा। इस समय, यह मामला माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन है।

न्यायाधिकरण के अनुरोध के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 21.06.2023 को अधिसूचना सं. एसओ सं. 2734(ई), के माध्यम से महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा रिपोर्ट और निर्णय के प्रस्तुतिकरण की अवधि को दिनांक 13 अप्रैल, 2026 ता या उससे पहले या उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के अंतर्गत रिपोर्ट और निर्णय के प्रस्तुतिकरण तक, जो भी पहले हो, के लिए बढ़ा दिया गया है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 99
जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....
जल निकायों का पुनरुद्धार

99. श्री हरभजन सिंह:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या जल निकायों पर अतिक्रमण के कारण देश में भूमिगत जल स्तर की समस्या बहुत गंभीर समस्या बन गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं तथा उक्त जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और
- (ग) देश में, विशेषकर पंजाब राज्य में जल निकायों के पुनरुद्धार तथा भूजल की स्थिति में सुधार के लिए क्या अन्य कदम, यदि कोई हों, उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): भूजल एक पुनःपूर्ति योग्य संसाधन है जिसका हर साल प्राकृतिक रूप से पुनर्भरण होता रहता है। केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य नोडल/भूजल विभाग समय-समय पर प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के गतिशील भूजल संसाधनों का आकलन करते हैं। इस आकलन में वर्षा के साथ-साथ अन्य स्रोतों, जैसे कि टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं से जल-पुनर्भरण का मूल्यांकन किया जाता है। उल्लेखनीय है कि, इन अन्य स्रोतों से जल-पुनर्भरण, जिसमें जल निकाय शामिल हैं, में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2020 में 156.08 बीसीएम से वर्ष 2024 में 175.68 बीसीएम तक बढ़ गया है।

(ख) और (ग): चूंकि जल राज्य का विषय है, जल निकायों के पुनरुद्धार और भूजल स्तर में सुधार के उपाय करना संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए किए गए कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं।

- i. भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)-हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के अंतर्गत जल निकायों के मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (आरआरआर ऑफ डब्ल्यूबी) घटक के अंतर्गत चिन्हित योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- ii. केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के पूरे मानचित्रण योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन परियोजना पूरी कर ली है, जिसमें पंजाब का 50369 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल भी है। जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएँ तैयार की गई हैं और कार्यान्वयन हेतु संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा की गई हैं। इन प्रबंधन योजनाओं में मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के कार्यकलापों के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं।
- iii. सीजीडब्ल्यूबी ने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श के साथ वर्ष 2020 के लिए भूजल हेतु एक कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान तैयार किया है, जो देश के विभिन्न भूभाग की स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को इंगित करने वाली एक मैक्रो स्तर का योजना है, जिसमें पंजाब भी शामिल है। इस मास्टर प्लान में देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का विनिर्माण करने की योजना है ताकि 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) मानसून वर्षा जल का उपयोग किया जा सके। संबंधित राज्य सरकार के संबंधित लाइन विभागों द्वारा किसी

अन्य जल आपूर्ति परियोजना या शहर विकास परियोजना की तरह ही इसकी भी कार्यान्वयन स्तर पर डीपीआर तैयार किया जाना अपेक्षित होती है। इनका कार्यान्वयन, संबंधित राज्य सरकार की मौजूदा योजनाओं के माध्यम से किया जाना है। भूजल के लिए कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान-2020 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रचारित किया गया है और इसे प्रत्येक राज्य के एक जिले में राज्य योजनाओं के समन्वय के माध्यम से लागू किया जा रहा है।

- iv. एक समयबद्ध मिशन मोड जल संरक्षण अभियान, जल शक्ति अभियान (जेएसए), को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जुलाई-नवंबर 2019 के दौरान देश के 256 जल की कमी वाले जिलों के 2,836 ब्लॉकों में से 1,592 ब्लॉकों में लॉन्च किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2020 में "कैच द रेन" (सीटीआर) अभियान शुरू किया गया और वर्ष 2021 में "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) शुरू किया गया, जिसमें देश के सभी जिलों (सभी ब्लॉकों और नगरपालिकाओं) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को कवर करते हुए, कैच द रेन अभियान शामिल था। जेएसए: सीटीआर अभियान में पांच केंद्रित कार्यकलाप शामिल हैं, जिसमें जल निकायों का पुनरुद्धार सहित वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का कार्य शामिल है। जेएसए: सीटीआर वर्ष 2021 से एक वार्षिक विशिष्टता बन गया है और जेएसए: सीटीआर के 5वां संस्करण को दिनांक 09.03.2024 को लॉन्च किया गया था, जिसका दिनांक 09.03.2024 से 30.11.2024 तक पंजाब सहित देश के सभी जिलों (सभी ब्लॉकों और नगरपालिकाओं) के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन किया जाएगा।
- v. "जल संचय जन भागीदारी" पहल, जो जेएसए: सीटीआर अभियान का एक हिस्सा है, दिनांक 6 सितंबर 2024 को सूरत में शुरू की गई। यह पहल जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर देती है और सभी हितधारकों, जिसमें सरकारी निकाय, उद्योग, स्थानीय प्राधिकरण, दान-दाताओं, आवासीय कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) और लोगों को एकजुट करने के कार्य के लिए एक प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, इसका उद्देश्य जल-भंडारण क्षमता बढ़ाने वाली अन्य गतिविधियों के साथ-साथ और भूजल पुनर्भरण में संवर्धन के लिए कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं/बोरवेल पुनर्भरण शाफ्ट के निर्माण पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य भूजल पुनर्भरण के लिए मिशन मोड में लाखों, किफायती विनिर्माण कार्य करने पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वर्षा के पानी की एक भी बूँद बर्बाद न हो।
- vi. मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 2022 को किया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण जिले (दिल्ली, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप को छोड़कर) में 75 अमृत सरोवरों का विनिर्माण या पुनरुद्धार करना है, जिससे देश भर में कुल 50,000 सरोवर बनाए जाएंगे।
- vii. ग्रामीण विकास मंत्रालय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जल संरक्षण और संचयन कार्य करता है। उसेक द्वारा की गई पहलों में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं का निर्माण कार्य भी शामिल है, जिनमें भूमिगत डाइक, मिट्टी के बांध, स्टॉप डैम, चेक डैम, और सरकारी या पंचायत भवनों में छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली, जिसमें विशेष रूप से पेयजल स्रोतों सहित भूजल पुनर्भरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत अनुमेय गतिविधियों में पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण—जिसमें सिंचाई टैंकों और अन्य जल स्रोतों की गाद निकालने के साथ-साथ ऐतिहासिक स्टेप वेल (बावली) का संरक्षण करना शामिल है।
- viii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 जैसे राष्ट्रीय मिशनों के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जल के सतत प्रबंधन के लिए कई पहल शुरू की हैं। अमृत 2.0 के तहत, जल निकायों और कुओं का पुनरुद्धार कार्य उसके प्रमुख घटकों में से एक है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 98
जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

पंजाब राज्य में सिंचाई परियोजनाएँ

98. श्री विक्रमजीत सिंह साहनी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) केन्द्रीय जल आयोग के तहत पंजाब राज्य में चल रही सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल कितने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाएगी;
- (ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;
- (घ) इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है तथा अब तक कितनी धनराशि जारी की गई है; और
- (ङ) इनमें से प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ङ.): पंजाब राज्य में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित एक वृहत बहुउद्देशीय परियोजना, दो विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाएँ और एक कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीऔरडब्ल्यूएम) परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं के विवरण इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सिंचाई लाभ	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	पात्र केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	प्रदान की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)	मौजूदा स्थिति
वृहत बहुउद्देशीय परियोजना (राष्ट्रीय परियोजना)						
1	शाहपुरकंडी बांध परियोजना	37,173 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन और 1.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचाई स्थिरीकरण	3394.49	485.35	415.76	82% कार्य पूर्ण।
विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजना						
2.	सिरहिंद फीडर नहर की रिलाइनिंग (ईआरएम)	98,739 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई स्थिरीकरण	671.48	255.76	229.08	80% कार्य पूर्ण।
3	राजस्थान फीडर नहर की रिलाइनिंग (ईआरएम)	69,096 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई स्थिरीकरण	1305.27	726.25	583.52	80% कार्य पूर्ण।
कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन परियोजना						
4.	कोटला ब्रांच भाग-II	1,42,658 हेक्टेयर क्षेत्र का कमान क्षेत्र विकास	477.19	228.87	102.02	70% कार्य पूर्ण।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 97
जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

यमुना नदी में प्रदूषण

97. डा. वी. शिवादासन:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने यमुना नदी में प्रदूषण के चिंताजनक स्तर पर ध्यान दिया है;
- (ख) विगत पांच वर्षों में यमुना नदी में घुलित ऑक्सीजन (डीओ), बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) और फेकल कोलीफॉर्म (एफसी) के वर्ष-वार तथा स्थान-वार मान क्या है; और
- (ग) यमुना नदी की सफाई के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई है, उक्त अवधि के लिए वर्ष-वार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी/प्रदूषण नियंत्रण समिति) के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडलब्यूएमपी) के अंतर्गत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यमुना नदी की जल गुणवत्ता का आंकलन किया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए जल गुणवत्ता निगरानी दिशानिर्देश, वर्ष 2017 के अनुसार, निर्धारित मापदंडों के लिए मासिक आधार पर निगरानी की जाती है और पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 के अंतर्गत, अधिसूचित उनकी बाह्य स्नान हेतु निर्धारित प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों से तुलना की जाती है। वर्ष 2019-2023 के दौरान चुने गए क्षेत्रों के लिए घुलित ऑक्सिजन (डीओ), बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड (बीओडी) और फीकल कॉलीफॉर्म (एफसी) मापदंडों के लिए जल गुणवत्ता आंकड़े **अनुलग्नक-I** में दिए गए हैं।

(ग): वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न एजेंसियों के लिए और यमुना नदी में प्रदूषण कम करने में सहयोग देने वाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 (15 जनवरी, 2025 तक) के दौरान जारी की गई निधि का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

अनुलग्नक-1

“यमुना नदी में प्रदूषण” विषय से संबंधित दिनांक 03.02.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 97 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

चुने गए क्षेत्रों के लिए वर्ष 2019-2023 के दौरान एनडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत निगरानी की गई यमुना नदी की जल गुणवत्ता आंकड़ा

क्र.सं.	निगरानी क्षेत्रों के नाम	राज्यों के नाम	वर्ष	घुलित ऑक्सिजन (मि.ली.ग्रा./लि.)	बीओडी (मि.ली.ग्रा./लि.)	फिकल कॉलिफॉर्म (एमपीएम/100मि.ली.)
				औसत	औसत	औसत
1	यमुनोत्री में यमुना नदी	उत्तराखंड	2020	10.8	1.0	4
			2021	10.6	1.0	2
			2022	10.4	1.0	2
			2023	11.2	1.0	2
2	डाकपथर, देहरादून के अपस्ट्रीम में यमुना नदी		2019	9.0	1.0	125
			2020	8.7	1.1	27
			2021	9.2	1.2	35
			2022	10.0	1.0	24
3	पौंटा साहिब के अपस्ट्रीम में यमुना नदी	2023	9.8	1.0	70	
		हिमाचल प्रदेश	2019	7.4	0.5	17
			2020	7.5	0.7	17
			2021	7.7	1.0	19
2022	8.0		1.2	27		
2023	8.0		1.6	36		
4	सन फार्मास्यूटिकल्स के डाउनस्ट्रीम में यमुना नदी	2021	7.5	7.6	30	
		2022	7.8	7.9	44	
		2023	8.0	8.1	170	
5	हाथनिर्कीद, यमुनानगर में यमुना नदी	हरियाणा	2019	7.2	2.4	1650
			2020	7.6	4.0	700
			2021	8.6	3.6	2505
			2022	5.4	4.0	5700
6	सोनीपत में यमुना नदी		2023	7.6	1.7	100
			2020	7.6	3.2	16000
			2021	6.1	2.8	4850
			2022	7.0	3.2	100
7	पल्ला में यमुना नदी	2023	7.4	1.7	100	
		दिल्ली	2019	9.2	2.8	715
			2020	8.4	3.6	700
			2021	8.9	5.1	1300
2022	8.8		2.0	1150		
2023	8.8		1.8	365		
8	असगरपुर में यमुना नदी (शाहदरा नाले और तुगलकाबाद नाले के संगम के बाद)	2019	1.2	21.5	3100000	
		2020	0.1	21.0	1700000	
		2021	0.3	54.5	1520000	

क्र.सं.	निगरानी क्षेत्रों के नाम	राज्यों के नाम	वर्ष	घुलित ऑक्सिजन (मि.ली.ग्रा./लि.)	बीओडी (मि.ली.ग्रा./लि.)	फिकल कॉलिफॉर्म (एमपीएम/100मि.ली.)
				औसत	औसत	औसत
			2022	0.3	75.0	800000
			2023	0.3	50.5	285000
9	शाहपुर में यमुना नदी	उत्तर प्रदेश	2020	6.3	8.5	54000
			2021	5.8	8.7	35500
			2022	5.2	12.4	38000
			2023	5.6	11.8	35000
			2019	7.5	2.4	6800
10	प्रयागराज डाउनस्ट्रीम में (बलुआ घाट) यमुना नदी	उत्तर प्रदेश	2020	8.4	2.1	860
			2021	7.8	2.6	680
			2022	7.7	2.7	580
			2023	7.8	2.6	610
			2019	7.5	2.4	6800

अनुलग्नक-II

“यमुना नदी में प्रदूषण” विषय से संबंधित दिनांक 03.02.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 97 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

यमुना नदी में प्रदूषण कम करने में सहयोग देने वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जारी निधि।

करोड़ रुपये में

राज्य	लाभान्वित एजेंसी और परियोजनाएं	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024- 25*	कुल
हिमाचल प्रदेश	सिंचाई विभाग (पोंटा शहर, जिला शिरमौर के जोन II एवं III के लिए सीवरेज परियोजना)	----	1.25	2.50	----	----	----	3.75
उत्तर प्रदेश	मथुरा में हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) परियोजना	52.29	25.63	94.01	13.88	46.68	36.88	269.37
	आगरा में हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) परियोजना				20.65	71.00	37.87	129.52
	मथुरा औद्योगिक क्षेत्र और प्रदूषण निवारण कंपनी, मथुरा (कॉमन बहिस्त्रार् उपचार संयंत्र हेतु)	----	----	1.63	7.89	0.19	----	9.71
दिल्ली	दिल्ली जल बोर्ड (एसटीपी का निर्माण और पुनर्वास, सीवर लाइन बिछाना और पुनर्वास कार्य आदि)	214.47	235.00	405.00	75.40	161.18	----	1,091.05
	कुल	266.76	261.88	503.14	117.82	279.05	74.75	1,503.40

(* 15 जनवरी, 2025 तक)

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 96
जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....
मुल्लापेरियार बांध में जल स्तर

96. श्री सी. वी. षनमुगम:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु को मुल्लापेरियार बांध में जल स्तर 152 फीट तक बढ़ाने की अनुमति देने का निर्णय दिया था;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सच है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद उस बांध में जल स्तर 152 फीट तक नहीं बढ़ाया गया है;
- (घ) क्या राज्य सरकार ने जल भंडारण स्तर की वर्तमान स्थिति के बारे में केंद्र को रिपोर्ट सौंपी है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 27 फरवरी, 2006 की मुल्लापेरियार पर्यावरण संरक्षण फोरम बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में के खिलाफ दायर रिट याचिका 2001 के 386 (सिविल) में दिए गए निर्णय में यह टिप्पणी की थी कि,

"जहां तक जल स्तर को 152 फीट तक बढ़ाएं जाने का प्रश्न है तो यह स्थिति अभी तक आई ही नहीं है अतः इस समय तमिलनाडु की यह याचना नहीं है।"

इसके अलावा, "इस रिट याचिका और संबंधित मामलों का, मुल्लापेरियार बांध के जल स्तर को 142 फीट तक बढ़ाने की अनुमति देते हुए तथा बांध को और मजबूत करने की अनुमति देते हुए निपटान किया जाता है।"

इसके अलावा, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 7 मई 2014 को मूल सूट संख्या 3 के मामले में अपने निर्णय में उल्लिखित किया कि इस न्यायालय के 27.02.2006 के पूर्व निर्णय में मुल्लापेरियार बांध की सुरक्षा के मुद्दे पर मुल्लापेरियार बांध के संबंध में सुदृढीकरण उपायों के पूरा होने के बाद, जल स्तर को 142 फीट और अंततः 152 फीट तक बढ़ाने के बारे में न्यायालय द्वारा दिया गया पिछला निर्णय (रेस-जुडिकादा) लागू रहेगा।

(घ) से (च): मुल्लापेरियार बांध पर दैनिक जल स्तर का विवरण तमिलनाडु सरकार द्वारा 'मुल्लापेरियार बांध की पर्यवेक्षी समिति' और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ साझा की जा रही है। कार्यकारी अभियंता, डब्ल्यूआरडी (आई/सी), मुल्लापेरियार बांध विशेष प्रभाग, कम्बम द्वारा दिनांक 29.1.2025 की तारीख के उनके ई-मेल के अनुसार मुल्लापेरियार बांध के जल स्तर इस प्रकार हैं:

दिनांक	जल स्तर (वर्ष 2025) (फीट में)	पिछले वर्ष (2024) उसी तारीख को जल स्तर (फीट में)	उसी तारीख को 10 वर्षों का औसत जल स्तर (वर्ष 2015 से 2024) (फीट में)
29.1.25	121.15	136.70	123.84

इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 07.05.2014 के निर्णय के माध्यम से एक तीन सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति का गठन किया। यह समिति सुरक्षा के दृष्टिकोण से बांध की नियमित निगरानी कर रही है। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2024 में अध्यक्ष, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक नई पर्यवेक्षी समिति का गठन किया गया है ताकि इस बांध के सुरक्षा पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके।

मुल्लापेरियार बांध के जलाशय के जल स्तर और सुरक्षा संबंधी चिंताओं की करीबी रूप से निगरानी पर्यवेक्षी समिति द्वारा की जा रही है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 94
जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....
भूजल संरक्षण

94. श्री अयोध्या रामी रेड्डी आला:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार भूजल संरक्षण के प्रयासों को कारगर बनाने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सदस्यों के साथ एक केंद्रीय समन्वय एजेंसी स्थापित करने की योजना बना रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार मनरेगा के तहत भूजल संरक्षण पर केंद्रित परियोजनाओं को गति प्रदान करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ काम करने का विचार रखती है;
- (घ) क्या सरकार भूजल की कमी का सामना कर रहे सभी राज्यों में अटल भूजल योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): देश में भूजल से संबंधित मुद्दों के सुचारु प्रबंधन के लिए जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय अंतर-विभागीय संचालन समिति (एनआईएससी) वर्ष 2012 से कार्यरत है। बाद में, जल क्षेत्र से संबंधी मुद्दों के निपटान हेतु एक समन्वित और सुव्यवस्थित दृष्टिकोण के महत्व को स्वीकार करते हुए सचिव स्तर के प्रतिनिधित्व को शामिल करने के साथ वर्ष 2024 में एनआईएससी का पुनर्गठन किया गया जिसमें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आदि के प्रतिनिधित्व शामिल किया गया और देश में भूजल सहित समग्र जल संसाधनों के व्यापक प्रबंधन हेतु इसके विचारार्थ-विषयों का भी विस्तार किया गया जिसमें विशेष रूप से भूजल की अधिक कमी वाले क्षेत्रों में किसानों को जल की अधिक खपत वाली फसलों से पृथक करना; देश में जल और भूजल प्रदूषण की निगरानी और उपचार करना इत्यादि शामिल हैं। इस प्रकार, एनआईएससी जल प्रबंधन क्षेत्र में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच विचारों के समुचित आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और सुचारु संचालन विस्तारित करने हेतु एक सामान्य मंच के रूप में कार्य करता है।

(ग): उपर्युक्त उल्लिखित अनुसार, जल शक्ति मंत्रालय पहले से ही कृषि मंत्रालय (एमओए) और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी- जोकि मनरेगा के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं) सहित विभिन्न अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। यह मंत्रालय देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीएमएमसी) योजना के कार्यान्वयन की दिशा में ज्ञान और जानकारी साझा करने के माध्यम से कृषि मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है जोकि उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टम उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई और बेहतर कृषि भूमि जल प्रबंधन पद्धतियों के जरिए खेत के स्तर पर जल उपयोग क्षमता के संवर्धन पर केंद्रित होता है।

इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) से जुड़े सार्वजनिक कार्य एक महत्वपूर्ण घटक है जिसके अंतर्गत जल संरक्षण और जल संचयन संरचनाओं के निर्माण पर मुख्य जोर दिया जाता है। मनरेगा एक अम्ब्रेला योजना है जिसके अंतर्गत भूजल पुनर्भरण और संरक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यों को व्यापक स्तर पर कार्यान्वित किया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाला वार्षिक अभियान, जल शक्ति अभियान (जेएसए) के अंतर्गत, मनरेगा के साथ समन्वय करते हुए वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण गतिविधियों को मिशन मोड में लागू करने हेतु एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है।

(घ) और (ङ.): अटल भूजल योजना एक प्रायोगिक (पायलेट) कार्यक्रम है जोकि सामुदायिक भागीदारी और व्यवहारिक परिवर्तन के माध्यम से भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर केंद्रित है। वर्ष 2020 में यह योजना 7 राज्यों में शुरू की गई थी और इस समय यह प्रभाव मूल्यांकन चरण में है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 90
जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु में जल संरक्षण के प्रयास

90. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या तमिलनाडु में जल संरक्षण प्रयासों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जिला-वार आधार पर उपाय लागू किए जा रहे हैं, तथा समय के साथ इन प्रयासों की प्रगति की निगरानी किस प्रकार की जा रही है;
- (ख) जल शक्ति अभियान के तहत पुदुक्कोट्टै जिले में कौन-कौन सी विशिष्ट जल संरक्षण पहल की गई हैं, तथा इन पहलों ने इस क्षेत्र की जल की कमी की चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया है; और
- (ग) पिछले तीन वर्षों में पुदुक्कोट्टै जिले में, विशेष रूप से भूजल पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के संदर्भ में, जल शक्ति अभियान का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल राज्य का विषय में से एक है और जल संरक्षण पहल के दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि जल संरक्षण के कार्य को मजबूती प्रदान करने हेतु जल शक्ति अभियान के अंतर्गत सभी जिलों में विभिन्न उपाय कार्यान्वित कर रही है। ये उपाय पांच मुख्य फोकस क्षेत्रों से संबद्ध हैं:

i. जल संरक्षण और जल संचयन- इसमें चेक डेम, तलाब/टैंकों, ट्रेंच, रूफ-टॉप वर्षाजल संचयन अवसंरचनाओं, ओपन वेल रिचार्ज सिस्टम, ओपन वेल रिचार्ज के लिए सैंड फिल्टर्स, बेंच टेरेसिंग और केनल डेस्लिटिंग का निर्माण कार्य शामिल है।

ii. पारंपरिक और अन्य जल निकायों/टैंकों का पुनरूद्धार- इसमें भंडारण और जल पुनर्भरण क्षमता को बढ़ाने के लिए मौजूदा जल निकायों को पुनर्स्थापित और संरक्षित करने के प्रयास शामिल है।

iii. पुनःउपयोग और पुनर्भरण अवसंरचनाएं- इसमें भूजल पुनर्भरण और जल पुनःउपयोग को और सुलभ बनाने के लिए सोक पिट, स्टेबलाइजेशन पॉण्ड और अन्य अवसंरचना डिजाइन्ड का कार्य शामिल है।

iv. वाटरशेड विकास- विभिन्न वाटरशेड प्रबंधन कार्यकलापों जैसे कि गली पल्ग, प्रोकोलेशन टैंक, स्टैगर्ड ट्रेंच और अन्य संबंधित कार्यकलापों कार्यान्वित किए गए हैं।

v. गहन वनीकरण - बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान और नर्सरी विकास कार्यक्रम जैसे कार्य, जिन्हें ग्रीन कवर को सुधारने और मृदा आद्रता रिटेंशन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।

जल शक्ति मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए जल शक्ति अभियान: कैच दे रेन (जेएसए:सीटीआर) पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in) के माध्यम से इन प्रयासों की प्रगति की निगरानी नजदीक से की जाती है। यह पोर्टल सभी जिलों में जल संरक्षण कार्यों की ट्रेकिंग और रिपोर्टिंग को सक्षम बनाता है।

(ख): तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में जल शक्ति अभियान के अंतर्गत, पुदुक्कोट्टै जिला में अनेक महत्वपूर्ण जल संरक्षण कार्यकलाप शुरू किए गए हैं। ये कार्यकलाप क्षेत्र में जल की कमी की चुनौतियों और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने में सहायक होंगे। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यकलाप अर्थात् चेक डेम-1,400 निर्मित; तलाब/टैंक-2,141 संरक्षित; ट्रेच-976 सृजित; वर्षा जल संचयन अवसंरचनाएं-122 स्थापित; बैंच ट्रेसिंग एण्ड केनल डिसिल्टिंग-3,480 पूर्ण कार्य; पारंपरिक एवं अन्य जल निकायों- 3,518 पुनर्स्थापित; सोक पिट-15,042 निर्मित; गली पल्ग-3,897 स्थापित; प्रोकॉलेशन टैंक- 196 विकसित; स्टैगर्ड ट्रेच- 6 सृजित; नर्सरी-1,062 स्थापित; पौधारोपण अभियान- 1,454 शामिल हैं।

ये प्रयास मुख्य रूप से सतही जल भंडार और भूजल पुनर्भरण क्षमता को बढ़ाते हुए जिला में जल उपलब्धता को सुधारने में सहयोग प्रदान करते हैं।

(ग): जल शक्ति अभियान के अंतर्गत, जल संरक्षण उपायों के निरंतर कार्यान्वयन से पुदुक्कोट्टै जिला में भूजल स्थितियों में उल्लेखनीय सुधार को आगे बढ़ाया गया है। केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), पुदुकोटाई जिला द्वारा प्रकाशित पिछले भूजल संसाधन आंकलन के अनुसार, महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं।

इस जिला में 45 फिरका (भूजल आंकलन के लिए प्रशासनिक ईकाई) में से, 36 फिरका "सुरक्षित" के रूप में श्रेणीबद्ध है, 6 फिरका "अर्द्ध-गंभीर" जोन में है, इनमें कोई भी फिरका "गंभीर" या "अति-दोहित" के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं है।

जल शक्ति अभियान के अंतर्गत, इन प्रयासों सहित, अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न जल संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों के सुचारु निष्पादन के पीछे का कारण भूजल स्तर में सुधार होना है। तमिलनाडु सरकार ने सूचना दी है कि वह आगे भूजल निरंतरता को बनाए रखने के लिए जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल संरक्षण के प्रयासों को लगातार प्राथमिकता दे रही है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 88
जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

घटता भूजल स्तर एवं प्रबंधन

88. सुश्री सुष्मिता देव:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश भर में घटते भूजल स्तर की वर्तमान राज्य-वार स्थिति क्या है;
- (ख) देश भर में चल रही भूजल पुनर्भरण परियोजनाओं की स्थिति क्या है तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित एवं उपयोग की गई धनराशि कितनी है; और
- (ग) राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) में कितनी प्रगति हुई है और सतत उपयोग के लिए अब तक राज्य-वार कितने जलभृतों का मानचित्रण और मूल्यांकन किया गया है और अब तक उनका कितना कार्यान्वयन किया गया है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) देश भर में हर साल चार बार क्षेत्रीय स्तर पर भूजल स्तर की निगरानी करता है। भूजल में दीर्घकालिक उतार-चढ़ाव के आकलन हेतु, पोस्ट-मॉनसून वर्ष 2024 जल स्तर डेटा की तुलना पिछले 5 वर्षों (2019-23) के पोस्ट-मॉनसून जल स्तर डेटा के औसत से की जाती है। इस प्रकार के विश्लेषण से पता चलता है कि 54.4% विश्लेषित कुएं बढ़ते जल स्तर को दर्शाते हैं। औसत (पोस्ट-मॉनसून 2019 से 2023) और पोस्ट-मॉनसून 2024 के बीच तुलना पर राज्यवार जल स्तर उतार-चढ़ाव (मीटर में) **अनुलग्नक-I** में प्रस्तुत किया गया है।

(ख): भूजल पुनर्भरण परियोजनाओं का निर्माण मुख्य रूप से संवैधानिक योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों का कार्य है। राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं जैसे मनरेगा, पीएमकेएसवाई - वाटरशेड विकास घटक आदि के अंतर्गत केंद्र सरकार से वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ ऐसा कर रही हैं, जो उनकी अपनी योजनाओं और परियोजनाओं के अतिरिक्त हैं। अन्य बातों के साथ-साथ केंद्र सरकार अपनी ओर से, वर्ष 2019 से जल शक्ति अभियान (जेएसए) को लागू कर रही है, जो देश में वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है।

जेएसए एक अंब्रेला अभियान है जिसके अंतर्गत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ समन्वय में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 2019 में जेएसए की स्थापना के बाद से, देश में लगभग 1.66 करोड़ जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/पुनर्स्थापन किया गया है/चल रहा है और केवल मनरेगा के साथ समन्वय के माध्यम से 1.16 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

(ग): राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम/अध्ययनों को जलाशयों के सीमांकन और वर्णन के लिए और भूजल प्रबंधन के लिए योजनाओं के विकास के लिए शुरू किया गया है। देश के पूरे भौगोलिक क्षेत्र के ~33 लाख वर्ग किमी में से, ~25 लाख वर्ग किमी के पूरे मानचित्रण योग्य क्षेत्र को राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। पूरे मानचित्रित क्षेत्र के लिए भूजल प्रबंधन योजनाएँ भी तैयार की गई हैं और संबंधित राज्य/जिला प्रशासन के साथ साझा की गई हैं। राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार कवरेज को **अनुलग्नक-II** में प्रस्तुत किया गया है।

"घटता भूजल स्तर एवं प्रबंधन" के संबंध में दिनांक 03.02.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 88 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

औसत (पोस्ट-मॉनसून 2019 से 2023) और पोस्ट-मॉनसून 2024 (असीमित जलभृत) के साथ राज्यवार जल स्तर में उतार-चढ़ाव (मीटर में)

*क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्लेषित कुओं की संख्या	विभिन्न उतार-चढ़ाव रेंज में मीटर में कुओं की संख्या												कुओं की कुल संख्या**			
			वृद्धि						गिरावट						वृद्धि	%	गिरावट	%
			0 से 2 (मी)	%	2 से 4 (मी)	%	> 4 (मी)	%	0 से 2 (मी)	%	2 से 4 (मी)	%	> 4 (मी)	%				
1	अंडमान और निकोबार	101	70	69.3	0	0.0	0	0.0	31	30.7	0	0.0	0	0.0	70	69.3	31	30.7
2	आंध्र प्रदेश	603	288	47.8	49	8.1	22	3.6	200	33.2	29	4.8	13	2.2	359	59.5	242	40.1
3	अरुणाचल प्रदेश	20	12	60.0	2	10.0	0	0.0	6	30.0	0	0.0	0	0.0	14	70.0	6	30.0
4	असम	201	124	61.7	5	2.5	1	0.5	61	30.3	8	4.0	2	1.0	130	64.7	71	35.3
5	बिहार	556	125	22.5	16	2.9	3	0.5	347	62.4	53	9.5	8	1.4	144	25.9	408	73.4
6	चंडीगढ़	7	6	85.7	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	6	85.7	1	14.3
7	छत्तीसगढ़	761	427	56.1	75	9.9	15	2.0	206	27.1	30	3.9	7	0.9	517	67.9	243	31.9
8	दिल्ली	68	27	39.7	14	20.6	9	13.2	14	20.6	3	4.4	1	1.5	50	73.5	18	26.5
9	गोवा	73	49	67.1	5	6.8	0	0.0	19	26.0	0	0.0	0	0.0	54	74.0	19	26.0
10	गुजरात	598	308	51.5	117	19.6	55	9.2	92	15.4	16	2.7	10	1.7	480	80.3	118	19.7
11	हरियाणा	163	61	37.4	11	6.7	7	4.3	57	35.0	19	11.7	8	4.9	79	48.5	84	51.5
12	हिमाचल प्रदेश	92	23	25.0	1	1.1	2	2.2	57	62.0	5	5.4	4	4.3	26	28.3	66	71.7
13	जम्मू और कश्मीर	196	56	28.6	1	0.5	1	0.5	124	63.3	9	4.6	4	2.0	58	29.6	137	69.9
14	झारखंड	290	144	49.7	18	6.2	6	2.1	100	34.5	19	6.6	2	0.7	168	57.9	121	41.7
15	कर्नाटक	1072	615	57.4	76	7.1	28	2.6	300	28.0	42	3.9	8	0.7	719	67.1	350	32.6
16	केरल	1346	567	42.1	68	5.1	18	1.3	583	43.3	90	6.7	19	1.4	653	48.5	692	51.4
17	मध्य प्रदेश	1044	454	43.5	77	7.4	34	3.3	376	36.0	62	5.9	34	3.3	565	54.1	472	45.2
18	महाराष्ट्र	1597	812	50.8	154	9.6	42	2.6	481	30.1	81	5.1	20	1.3	1008	63.1	582	36.4
19	मेघालय	38	9	23.7	0	0.0	0	0.0	29	76.3	0	0.0	0	0.0	9	23.7	29	76.3
20	नागालैंड	11	3	27.3	1	9.1	0	0.0	3	27.3	1	9.1	3	27.3	4	36.4	7	63.6
21	उड़ीसा	1249	277	22.2	11	0.9	3	0.2	826	66.1	110	8.8	16	1.3	291	23.3	952	76.2
22	पुदुचेरी	6	3	50.0	0	0.0	0	0.0	3	50.0	0	0.0	0	0.0	3	50.0	3	50.0
23	पंजाब	174	43	24.7	9	5.2	4	2.3	74	42.5	30	17.2	13	7.5	56	32.2	117	67.2
24	राजस्थान	824	263	31.9	120	14.6	132	16.0	163	19.8	61	7.4	85	10.3	515	62.5	309	37.5
25	तमिलनाडु	566	238	42.0	55	9.7	28	4.9	194	34.3	34	6.0	13	2.3	321	56.7	241	42.6
26	तेलंगाना	248	93	37.5	32	12.9	15	6.0	83	33.5	18	7.3	7	2.8	140	56.5	108	43.5
27	दादर नगर हवेली और दमन-दीव	11	5	45.5	3	27.3	0	0.0	2	18.2	1	9.1	0	0.0	8	72.7	3	27.3
28	त्रिपुरा	78	56	71.8	4	5.1	0	0.0	17	21.8	0	0.0	0	0.0	60	76.9	17	21.8
29	उत्तर प्रदेश	421	151	35.9	13	3.1	8	1.9	212	50.4	30	7.1	7	1.7	172	40.9	249	59.1
30	उत्तराखंड	155	51	32.9	6	3.9	12	7.7	64	41.3	9	5.8	12	7.7	69	44.5	85	54.8
31	पश्चिम बंगाल	636	409	64.3	16	2.5	4	0.6	185	29.1	10	1.6	8	1.3	429	67.5	203	31.9
	कुल	13205	5769	43.7	959	7.3	449	3.4	4910	37.2	770	5.8	304	2.3	7177	54.4	5984	45.3

* मणिपुर, मिजोरम, लक्षद्वीप, लद्दाख, सिक्किम के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का डेटा उपलब्ध नहीं है।

** 44 (0.3%) साइटें न तो वृद्धि दिखा रही हैं और न ही गिरावट।

"घटता भूजल स्तर एवं प्रबंधन" के संबंध में दिनांक 03.02.2025 को राज्य सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 88 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन के अंतर्गत राज्यवार कवरेज

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल क्षेत्र (वर्ग किमी)	कवरेज के लिए लक्षित क्षेत्र (वर्ग किमी)	मार्च 2023 तक का कवरेज (वर्ग किमी)
1	अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र	8,249	1,774	1,774
2	आंध्र प्रदेश	1,63,900	1,41,784	1,41,784
3	अरुणाचल प्रदेश	83,743	4,703	4,703
4	असम	78,438	61,826	61,826
5	बिहार	94,163	90,567	90,567
6	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	115	115	115
7	छत्तीसगढ़	1,36,034	96,000	96,000
8	दादरा और नगर हवेली	602	602	602
9	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	1,483	1,483	1,483
10	गोवा	3,702	3,702	3,702
11	गुजरात	1,96,024	1,60,978	1,60,978
12	हरियाणा	44,212	44,179	44,179
13	हिमाचल प्रदेश	55,673	8,020	8,020
14	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	1,67,396	9,506	9,506
15	झारखंड	79,714	76,705	76,705
16	कर्नाटक	1,91,808	1,91,719	1,91,719
17	केरल	38,863	28,088	28,088
18	लक्षद्वीप	32	32	32
19	लद्दाख	54,840	963	963
20	मध्य प्रदेश	3,08,000	2,69,349	2,69,349
21	महाराष्ट्र	3,07,713	2,59,914	2,59,914
22	मणिपुर	22,327	2,559	2,559
23	मेघालय	22,429	10,645	10,645
24	मिजोरम	21,081	700	700
25	नगालैंड	16,579	910	910
26	ओडिशा	1,55,707	1,19,636	1,19,636
27	पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	479	454	454
28	पंजाब	50,368	50,368	50,368
29	राजस्थान	3,42,239	3,34,152	3,34,152
30	सिक्किम	7,096	1,496	1,496
31	तमिलनाडु	1,30,058	1,05,829	1,05,829
32	तेलंगाना	1,11,940	1,04,824	1,04,824
33	त्रिपुरा	10,492	6,757	6,757
34	उत्तर प्रदेश	2,46,387	2,40,649	2,40,649
35	उत्तराखंड	53,484	11,430	11,430
36	पश्चिम बंगाल	88,752	71,947	71,947
	कुल	3294105	2514437	2514437

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 86
जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

कदवन जलाशय परियोजना

86. श्री उपेन्द्र कुशवाहा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि बिहार एवं झारखण्ड की सीमा के पास सोन नदी पर वर्षों से निर्माणाधीन कदवन जलाशय परियोजना बिहार, झारखण्ड एवं मध्य प्रदेश के बीच विवाद की वजह से पूर्ण नहीं की जा सकी है; और
- (ख) उक्त राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): कदवन बांध परियोजना, जिसका नाम बदलकर इंद्रपुरी जलाशय परियोजना रखा गया है, सोन नदी पर बनाई जानी प्रस्तावित है। बिहार ने इस परियोजना की प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट (पीपीआर) केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) को दिसंबर 2018 में मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की थी। सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, इसके पीपीआर को उत्तर प्रदेश और झारखंड के पक्षकार राज्यों के साथ उनकी राय जानने के लिए साझा किया गया था। झारखंड सरकार ने राय व्यक्त करते हुए उल्लिखित किया है कि त्रैतीय बांसागर समझौते, 1973 के तहत अविभाजित बिहार को सोन नदी बेसिन के आवंटित पानी के वितरण के मामले को पहले निपटाया जाना चाहिए। इस अंतरराज्यीय मुद्दे का निपटारा न होने के कारण, सीडब्ल्यूसी द्वारा मार्च 2022 में इस परियोजना को राज्य को इस अनुरोध के साथ वापस कर दिया गया कि सह-बेसिन राज्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए इसे परियोजना को फिर से प्रस्तुत किया जाए।

राज्य के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे के समाधान के लिए, इस मामले पर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जुलाई 2024 में आयोजित स्थायी समिति की बैठक में राज्यों के साथ चर्चा की गई है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 85
जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल

85. श्रीमती जेबी माथेर हीशमः

श्री नीरज डांगीः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार के पास जल संचय, जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल के तहत वर्षा जल संचयन की एक मिलियन संरचनाओं के निर्माण के लिए कोई ठोस रणनीति है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस पहल के तहत किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों या जल-संकटग्रस्त जिलों को प्राथमिकता दी गई है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) भूजल पुनर्भरण और संरक्षण लक्ष्यों को प्राप्त करने में इन वर्षा जल संचयन संरचनाओं की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए कौन-सा निगरानी और मूल्यांकन तंत्र मौजूद है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के अंतर्गत जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य देश भर में 31 मई 2025 तक, एक समेकित और भागीदारी दृष्टिकोण अपनाते हुए एक मिलियन कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं विनिर्मित करना है। इस पहल को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि (कैम्पा), वित्त आयोग अनुदान, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व योगदान, परोपकारी दान, व्यक्तिगत स्तर पर दिए गए दान आदि सहित कई वित्तीय स्रोतों का लाभ हासिल होता है। इस पहल में, एक समग्र सरकारी और एक समग्र समाज को शामिल किए जाने की कार्यनीति का अनुपालन करते हुए मिशन-मोड कार्यान्वयन रणनीति के अंतर्गत, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों, जिला प्रशासन, आवासीय कल्याण संघों (आर.डब्ल्यू.ए), उद्योगिक संघों, सिविल सोसाइटी, व्यक्तिगत घर मालिकों को शामिल किया जाता है। जल संचय जन भागीदारी

के डैशबोर्ड पर 4.5 लाख से अधिक कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं पहले ही शामिल कर ली गई हैं। इस पहल में, सरकार भूजल द्वारा गिरते स्तर को रोकने, किफायती स्थानीय समाधानों को प्रस्तुत करने और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से अपनी कार्यनीतिगत प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के सहयोग से इस पहल के कार्यान्वयन के लिए दिनांक 07.10.2024 को जिलाधिकारियों/जिला आयुक्तों और नगर निगमों को एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से जल संचय जन भागीदारी में शामिल सभी हितधारकों को इस पहल के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन और व्यावहारिक निर्देश प्रदान करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के रूप में "भूजल संवर्धन के कृत्रिम पुनर्भरण के सरल औरव्यावहारिक तरीके" नामक एक दस्तावेज़ तैयार किया गया है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड / केंद्रीय जल आयोग के नोडल अधिकारियों को हितधारकों की सुविधा के लिए नियुक्त किया गया है। जल संचय जन भागीदारी पहल के विस्तार को व्यापकता प्रदान करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) से जुड़े कार्यक्रमलाप किए गए हैं। इसलिए, सरकार ने जल संचय जन भागीदारी पहल के मजबूत कार्यान्वयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए एक ठोस कार्यनीति तैयार की है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण करना है जिससे कि वर्षा की प्रत्येक बूंद का प्रभावी उपयोग किया जा सके और भविष्य को जल सुरक्षित बनाया जा सके।

(ख): इस पहल के अंतर्गत किसी विशेष क्षेत्र या जल की कमी वाले जिलों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। इस पहल में देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट जल चुनौतियों के अनुकूल किफायती स्थानीय समाधानों को प्रोत्साहित करते हुए जल की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

(ग): जल पुनर्भरण संरचनाओं की प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क कार्यान्वित किया गया है। जल संचय जन भागीदारी डैशबोर्ड एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें हितधारकों को प्रत्येक निर्मित पुनर्भरण संरचना की फोटो, जियो-टैग और अन्य विवरणों को प्रदान किया जाता है। निगरानी को मजबूती प्रदान करने के लिए, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग के नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारियों के सहयोग से कार्यान्वयन अपडेट और आंकड़ों का सत्यापन सुनिश्चित करते हैं। इन नोडल अधिकारियों को आंकड़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए 1% पुनर्भरण संरचनाओं का परीक्षण कार्य और संबंधित जिलों/निगमों/नोडल अधिकारियों की क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया है। केंद्रीय जल आयोग/केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और जिलों/निगमों के क्षेत्रीय अधिकारियों के कार्यों में मदद करने और निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन में एक समर्पित कक्ष स्थापित किया गया है। कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के विनिर्माण/नवीनीकरण के लिए केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड को तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत के सक्रिय भूजल संसाधनों का वार्षिक मूल्यांकन राज्य सरकारों और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के सहयोग से किया जाता है। ये आवधिक मूल्यांकन भूजल पुनर्भरण, उपयोग के रुझानों और समग्र उपलब्धता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं जिससे जल संसाधन

प्रबंधन में सूविज्ञ निर्णय लेने में मदद मिलती है। जिला और राज्य स्तर की समीक्षा प्रणाली से क्षमता निर्माण पहलों, निरंतर निगरानी और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 84
जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट

84. डा. दिनेश शर्मा:

श्रीमती किरण चौधरी:

श्री बृज लाल:

श्रीमती रेखा शर्मा:

श्री मदन राठौड़:

श्री नरहरी अमीन:

श्रीमती दर्शना सिंह:

श्रीमती माया नारोलिया:

श्री बाबू राम निषाद:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या 2024 की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट में किन्हीं उभरते प्रदूषकों/संदूषकों की पहचान की गई है जिन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) भूजल प्रदूषण को कम करने में सरकारी पहलों ने कितनी प्रभावशीलता दिखाई है;
- (घ) क्या भूजल गुणवत्ता प्रबंधन में सुधार के लिए सामुदायिक भागीदारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी की कोई संभावना है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा तैयार की गई वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 देश भर में फैले 15,259 निगरानी स्थलों से भूजल के नमूनों और विश्लेषण पर आधारित है। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य पीने और कृषि के लिए उपयोग किए जाने वाले भूजल में विद्युत चालकता (ईसी), फ्लोराइड, आर्सेनिक, भारी धातुओं, नाइट्रेट आदि जैसे विभिन्न जल गुणवत्ता मानकों का अध्ययन करना है। रिपोर्ट में उपरोक्त प्रदूषकों की उपस्थिति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अलग-अलग स्थानों पर मानव उपयोग के लिए निर्धारित सीमाओं से अधिक पाई गई है। इसके अलावा, रिपोर्ट में किसी नए प्रदूषक की पहचान नहीं की गई है।

(ग): जल राज्य का विषय है और भूजल गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण को कम करने के लिए पहल सहित भूजल प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। केंद्र सरकार विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से तकनीकी समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है।

तथापि, केंद्र सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं सीजीडब्ल्यूबी के साथ वार्षिक पुस्तिकाओं, अर्ध-वार्षिक बुलेटिन और पाक्षिक चेतावनियों द्वारा मौजूद भूजल गुणवत्ता डेटा को नियमित रूप से साझा करना; भूजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अध्ययन करना; प्रभावित क्षेत्रों में सीजीडब्ल्यूबी द्वारा नवीनतम सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आर्सेनिक सुरक्षित कुएं का निर्माण करना; केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा उद्योग विशिष्ट निर्वहन मानक स्थापित कर व्यापक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम को लागू करना, उद्योगों के लिए बहिःस्राव उपचार संयंत्र (ईटीपी) को अनिवार्य करना, निर्वहन की ऑनलाइन निरंतर निगरानी आदि।

इसके अलावा, भारत सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में, अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल को लागू कर रही है, ताकि देश के हर ग्रामीण घर में पर्याप्त मात्रा, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित एवं दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल का पानी उपलब्ध कराया जा सके, जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस:10500 मानकों को नल के पानी की वितरण सेवा की गुणवत्ता हेतु निर्धारित मानदंड के रूप में अपनाया गया है।

इन सभी संचित प्रयासों के परिणामस्वरूप, यह सूचित किया गया है कि अगस्त 2019 से जनवरी 2025 के बीच देश में आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों की संख्या घट कर क्रमशः 14,020 से 314 और 7,996 से 254 हो गई है। इन शेष बस्तियों को सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल भी प्रदान किया गया है।

(घ) और (ङ): केंद्र सरकार ने भूजल प्रबंधन को वास्तव में जन आंदोलन में बदलने के लिए बड़े पैमाने पर समुदाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें से उल्लेखनीय हैं:

- i. भारत सरकार अटल भूजल योजना को लागू कर रही है, जिसका मुख्य विषय समुदाय द्वारा संचालित भूजल संसाधनों का सतत प्रबंधन और मांग प्रबंधन है।
- ii. केंद्रीय भूजल बोर्ड स्थानीय भूजल मुद्दों को लेकर विभिन्न पब्लिक इंटरैक्शन कार्यक्रम (पीआईपी), जन जागरूकता कार्यक्रम (एमएपी), टियर II और टियर III कार्यक्रमों का आयोजन करता है जिसमें जल प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जनता को शिक्षित करने और जल गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने जैसे कार्य शामिल हैं।
- iii. जेजेएम के तहत, समुदाय को शामिल करने और जल गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, अधिमानतः महिलाओं को चुना जाता है और उन्हें फील्ड टेस्ट किट (एफटीके) द्वारा जल के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक, देश भर में 24 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है।

- iv. सरकार वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) को सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ लागू कर रही है। अभियान के तहत देश के विभिन्न जिलों में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित किए गए हैं ताकि स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत की जा सके और जल से संबंधित ज्ञान का प्रसार किया जा सके।
- v. जल शक्ति अभियान, जल संचय जन भागीदारी की गति को और मजबूत करने के लिए: भारत में जल की स्थिति में स्थिरता लाने के लिए सूरत, गुजरात में दिनांक 6 सितंबर, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक सामुदाय-प्रेरित मार्ग का शुभारंभ किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पानी की हर एक बूँद को सामूहिक प्रयासों से संरक्षित किया जाए जिसमें समाज और सरकार-दोनों के समग्र दृष्टिकोण सम्मिलित हैं।
- vi. इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय और इसके संगठन, देश की जनता में जागरूकता बढ़ाने और जल संसाधन प्रबंधन में सुधार करने के लिए बड़ी संख्या में गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ काम करते हैं। मंत्रालय द्वारा ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए कई गैर सरकारी संगठनों के साथ भी कई समझौते किए गए हैं।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 83

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

नदी प्रदूषण को दूर करने के लिए कार्य योजना

83. डा. मेघा विश्राम कुलकर्णी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र की नदियों में प्रदूषण को दूर करने के लिए कोई राज्य-विशिष्ट कार्य योजना तैयार की है;
- (ख) यदि हां, तो जल गुणवत्ता में सुधार करने, औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों पर रोक लगाने और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने सहित इस योजना में मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है;
- (ग) पहचाने गए प्रदूषित क्षेत्रों में जल गुणवत्ता में मापनीय सुधार प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है; और
- (घ) क्या विशेषरूप से अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों में प्रदूषण दूर करने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं, और यदि हां, तो उनकी स्थिति और परिणाम क्या हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (घ): नदियों की सफाई/संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। नदियों और अन्य जल निकायों में प्रवाहित करने से पहले सीवेज और औद्योगिक अपशिष्टों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार आवश्यक उपचार सुनिश्चित करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और स्थानीय शहरी निकायों की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित की गई प्रदूषित नदी खंडों के संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के मूल आवेदन सं. 673/2018 में आदेशों के अनुपालनार्थ राज्यों ने अपनी कार्य योजनाएँ तैयार कर ली हैं और इन्हें सक्षम प्राधिकरण से अनुमोदित करा लिया गया है। इन अनुमोदित कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए केंद्रीय निगरानी समिति और राज्य स्तर की समितियाँ गठित की गई हैं।

महाराष्ट्र में प्रदूषित नदी खंडों के लिए कार्य योजना की और विभिन्न फोकस क्षेत्रों की जानकारी लिंक पर उपलब्ध है: <https://www.mpcb.gov.in/river-polluted-streches/action-plans>

भारत सरकार ने गंगा बेसिन में नदियों/सहायक नदियों में प्रदूषण को कम करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना और अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण

योजना (एनआरसीपी) की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके ऐसे प्रयासों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत, महाराष्ट्र में गोदावरी, कृष्णा, तापी और पंचगंगा नदियों के लिए; 260 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की और इसके साथ कच्चे सीवेज के अवरोधन और ड्राइवरजन का कार्य और सीवरेज सिस्टम का निर्माण किया गया।

इसके अलावा एनआरसीपी के तहत, पुणे, महाराष्ट्र में मुला-मुथा नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिए 990.26 करोड़ रुपये की कुल लागत से 396 एमएलडी की कुल क्षमता के साथ 11 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए जाने हेतु एक परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 53.5 किमी का एक सीवर नेटवर्क बिछाना शामिल है। नागपुर, महाराष्ट्र में नाग नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी 1926.99 करोड़ रुपये की लागत से 102 एमएलडी की कुल क्षमता के साथ 5 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी गई है, इसमें 520 किमी का सीवर नेटवर्क बिछाने का कार्य भी शामिल है। ये परियोजनाएं संबंधित नगर निगमों द्वारा लागू की जा रही हैं।
